लोकसभा चैनल के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता

जनसंचार विषय में एम.फिल. उपाधि के लिए

प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

सत्र : 2012-2013

शोध निर्देशक

डॉ. अख़्तर आलम

सहायक प्रोफेसर

ज्ञान शांति मैत्री

शोधार्थी

काकुली चटर्जी

पंजी.सं : 2012/03/208/001

संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र

(मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम -1997, क्रमांक – 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल, वर्धा – 442005 (महाराष्ट्र), भारत

अनुक्रमणिका

अध्याय एक : प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि 1-8

1.1 भूमिका

1.2 प्रस्तावना

1.3 अध्ययन का क्षेत्र

1.4 अध्ययन की रूपरेखा

1.5 शोध समस्या

1.6 शोध का उद्देश्य

1.7 उपकल्पना

1.8 शोध का महत्व एवं प्रासंगिकता

1.9 साहित्य पुनरावलोकन

1.10 शोध चयन प्रक्रिया

1.11 शोध प्रविधि

1.12 शोध की सीमांए

अध्याय दो : टीवी समाचार चैनलों का उद्भव एवं विकास 9-20

2.1 विश्व में टीवी समाचार चैनलों का विकास

2.2 भारत में समाचार चैनलों का विकास

2.3 भारत में निजी समाचार चैनलों का विकास

अध्याय तीन : लोकसभा चैनल का उदभव, विकास, संगठन एवं संरचना 21-38

3.1 विश्व में संसदीय चैनल का विकास एवं विश्व राजनीति में भूमिका

3.2 भारत में संसदीय चैनल का विकास

3.3 लोकसभा चैनल : संगठन एवं सरंचना

अध्याय चार : लोकसभा चैनल के कार्यक्रमों की विशिष्टता 39-56

4.1 कार्यक्रमों का प्रकार

4.2 कार्यक्रमों का स्वरूप

4.3 लोकसभा चैनल का दूरदर्शन के तीन चैनलों से तुलना

4.4 लोकसभा चैनल का तीन निजी न्यूज चैनलों से तुलना

अध्याय पांच : लोकसभा चैनल की प्रभावशीलता का अध्ययन 57-79

5.1 उत्तरदाताओं का सामान्य विवरण

5.2 आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण

5.3 विश्लेषण

अध्याय छः निष्कर्ष एवं सुझाव 80-84

संदर्भ-ग्रंथ सूची 85-86

परिशिष्ट 87-92

अध्याय एक : प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि

1.1 भूमिका

1.2 प्रस्तावना

1.3 अध्ययन का क्षेत्र

1.4 अध्ययन की रूपरेखा

1.5 शोध समस्या

1.6 शोध का उद्देश्य

1.7 उपकल्पना

1.8 शोध का महत्व एवं प्रासंगिकता

1.9 साहित्य पुनरावलोकन

1.10 शोध चयन प्रक्रिया

1.11 शोध प्रविधि

1.12 शोध की सीमांए

भूमिका

बीसवीं शताब्दी को मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और उपलब्धियों भरा कालखंड कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि इसी कालखंड में जनसंचार के माध्यमों का विकास हुआ और यह विकास कुछ ऐसा हुआ कि इसने मानव समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, सांस्कृतिक यहां तक कि नैतिक जीवन को भी प्रभावित किया। जनसंचार माध्यमों का ही चमत्कार है कि कोई भी व्यक्ति विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ क्षणों में सम्पर्क स्थापित कर सकता है। सूचनातंत्र में नित नई उपलब्धियों एवं तकनीकों की खोज, विशेष उपग्रह संचार प्रणाली के विकास आदि से सारी दुनिया बहुत करीब आ गई है। बीती सदी के अन्तिम कुछ दशकों में संचार माध्यमों के विकास पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने प्रगति और उपलब्धियों का एक नया इतिहास रचा है। बीसवीं सदी के अन्तिम तीन दशकों में निश्चित रूप से टेलीविजन ने जनसंचार के क्षेत्र में एक क्रांति पैदा की है।

मार्शल मैक्लुहान ने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले कई सालों तक टेलीविजन का वर्चस्व बना रहेगा। इसका स्थान इंटरनेट भी नहीं ले सकता। समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। रफ़्तार तेज होती है और जनसंचार माध्यम अपने विकास की सीढियां चढ़ता रहता है। टेलीविजन की विकास यात्रा भी ऐसी ही रही। विश्व में टेलीविजन का आविष्कार या आगमन तो बहुत पहले ही हो चुका था लेकिन भारत में प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरूआत थोड़ी देर से हुई। भारत में टेलीविजन का या यूं कहें कि दूरदर्शन की शुरूआत 15 सितम्बर 1959 को दिल्ली में सत्यम् शिवम् संदुरम् के सिद्धांत पर हुई। भारत में टेलीविजन के इतिहास का एक रोचक पहलू यह है कि आज जिस माध्यम को मनोरंजन और व्यापार वृद्धि का प्रमुख साधन माना जा रहा है, उसकी शुरूआत सामाजिक शिक्षा के प्रचार के उद्देश्य से हुई थी। उस समय सप्ताह में दो दिन एक-एक घण्टे के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे।

सन 1982 में आयोजित एशियाई खेलों ने दूरदर्शन को नई अंगड़ाई लेने का अवसर दिया और साथ ही साथ भारत में रंगीन टीवी का भी आरंभ हुआ। यही वह वक्त था जब दूरदर्शन घर-घर में प्रवेश करने लगा। नवंबर 1989 में लोकसभा के चुनाव के दौरान देश की विभिन्न सूचनाओं, समाचारों को राष्ट्रीय बुलेटिनों और विशेष चुनाव बुलटिनों में सीधे तौर पर शामिल किया गया। 1989 में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण तथा केन्द्र में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण किया गया। अगर यूं कहा जाए कि इसके

साथ ही लोकसभा में होनेवाली कार्यवाहियों को एक विशेष चैनल के माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाने की जरूरत की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी, तो गलत न होगा।

भारत संसदीय व्यवस्था वाला देश है और संसदीय व्यवस्था में एक इस प्रकार के चैनल का होना अपनी अलग गरिमा है। जनता द्वारा चुनी गई सत्ता में सम्प्रभुता निवास करती है। भारत में जनभावनाओं को उभारने, जनता को जागरूक बनाने और जनमत का निर्माण करने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानि कि मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाद में इन्हीं भावनाओं को सदन में रखा जाता है। जिसके आलोक में विभिन्न नियम एवं कायदे कानून बनते हैं। अत: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया भारतीय लोकतंत्र की रचना करते हैं एवं इसकी रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संसद या विधानसभा में जनता के लिए होने वाली संपूर्ण संसदीय प्रक्रिया को जनता के सामने प्रस्तुत करने का दायित्व भारतीय लोकतंत्र में मीडिया का है। जनता के प्रतिनिधि सदन में जनता के लिए क्या कर रहे हैं यह जनता को मीडिया के माध्यम से पता चलता है। अत: आज मीडिया का दायित्व है कि वह संसदीय कार्यवाही और प्रक्रिया की जानकारी आम जनता तक सरल भाषा में बिना किसी भ्रमित तथ्य के पहुंचाए। इन्ही कुछ तथ्यों के साथ 14 अगस्त 2004 को लोकसभा चैनल की नींव रखी गई और अन्तत: 26 जुलाई 2006 को लोकसभा चैनल एक अलग संसदीय और राष्ट्रीय चैनल के रूप में अस्तित्व में आया। इस चैनल के जरिए देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि संस्था, लोकसभा की कार्यवाहियों के माध्यम से आमजनता की राजनीतिक समझ बढ़ाने की कोशिशों को एक नया आयाम दिया गया।

अक्सर यह देखा गया है कि देश की आवाम राजनीति से जुड़ी खबरों, सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों व उनकी प्रगति, संसदीय प्रक्रिया, सूचनाएं और समाचारों को विस्तार से देखना और समझना चाहती है, लेकिन विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा विस्तृत जानकारी न मिल पाने के कारण उन्हें अल्प-सूचनाओं व अल्प-ख़बरों से ही संतुष्ट होना पड़ता है। लोकसभा चैनल इस मांग और पूर्ति के बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। इस चैनल में सदन में चल रही कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है जो अन्य चैनलों द्वारा संभव नहीं है। दूरदर्शन भी एक राष्ट्रीय चैनल है, लेकिन उसके कार्यक्रमों की अपनी अलग सूची है। लोकसभा चैनल का लक्ष्य वस्तुतः भारत में सन 1985 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरूआती लक्ष्यों से काफी मेल खाता है। ये लक्ष्य थे – जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की जाए, उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया जाए, एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाए जो राजनीतिज्ञों के मूल्यांकन के माध्यम से

भारतीय शासन को सुदृढ़ बना सके। सत्ताधारियों के मूल्यांकन के लिए जनता तक उनकी गतिविधियों को पहुँचाना जरुरी है जो कांग्रेस और लोकसभा टीवी दोनों के ही उद्देश्यों में शामिल था या है। लोकसभा चैनल की सफलता या विफलता और स्थापना के बाद के वर्षों में उसके चरित्र का निर्धारण, बजाय इसके कि उसकी स्थापना किन लोगों ने की या किन लक्ष्यों के लिए की गई, इससे किया जाना चाहिए कि अपनी स्थापना के शुरूआती वर्षों में इन लक्ष्यों को हासिल करने में यह कहां तक सफल रही।

प्रस्तावना

शोध का विषय लोकसभा चैनल के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता है। इस शोध के अंतर्गत शामिल अध्यायों की सामान्य चर्चा प्रस्तावना के माध्यम की जा रही है।

इस लघु शोध में **पहला अध्याय** प्रस्तावना और शोध प्रविधि है, इसमें सबसे पहले शोध विषय का परिचय दिया गया है। फिर इसमें इस शोध को करने में हुई की समस्या, शोध की रूपरेखा, शोध का उद्देश्य, उपकल्पना, शोध का महत्व, साहित्य पुनरावलोकन, शोध चयन प्रक्रिया, शोध सीमाएं आदि बातों की चर्चा की गई है।

शोध का **दूसरा अध्याय** टीवी समाचार चैनलों का उद्भव और विकास है। इस अध्याय की शुरूआत सबसे पहले विश्व में समाचार चैनलों के विकास से की गई है कि किस प्रकार से पूरे विश्व में टीवी का आगमन हुआ है फिर किस प्रकार से उसने अपनी विकास गाथा लिखी और धीरे-धीरे समाचार चैनलों का विकास हुआ और पूरे विश्व में किस प्रकार से टीवी समाचार चैनल छा गया। फिर इस अध्याय के दूसरे भाग में भारत में समाचार चैनलों के विकास को लिखा गया है कि किस प्रकार से भारत में टीवी का विकास हुआ। उस समय केवल दूरदर्शन ही हुआ करता था फिर उसके बाद किस प्रकार निजी टीवी चैनलों का प्रार्दुभाव होता है और फिर समाचार चैनलों की होड़ लग जाती है।

तीसरा अध्याय लोकसभा चैनल का उदभव, विकास, संगठन एवं संरचना पर आधारित है। इस अध्याय में सबसे पहले विश्व में संसदीय चैनल के विकास के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ देशों के संसदीय चैनल के बारे में लिखा गया है। फिर उसके बाद लोकसभा चैनल की शुरूआत कैसी हुई एवं वह किस प्रकार अपनी विकास यात्रा तय कर रहा है इसे बताया गया है। फिर इसी अध्याय में लोकसभा चैनल की संरचना एवं उसके संगठन के बारे में बताया गया है।

चौथा अध्याय पूरे तौर पर लोकसभा के कार्यक्रमों पर आधारित है क्योंकि प्रस्तुत शोध भी इसी पर केंद्रित है। इसमें पहले लोकसभा चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है वे कार्यक्रम कैसे हैं एवं इनका स्वरूप कैसा है। फिर इसके कार्यक्रमों की विशिष्टता क्या है। इस अध्याय

के एक भाग में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि लोकसभा चैनल किस प्रकार से अन्य चैनलों की तुलना में अलग है।

अध्याय पांच के अंतर्गत लोकसभा चैनल के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है। इसमें लोगों द्वारा भराई गई प्रश्नावली के माध्यम यह जानने की कोशिश की गई है कि लोकसभा चैनल का कार्यक्रम कितना प्रभाव कायम कर पाया है। उसके बाद प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उनका प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण किया गया है।

शोध का **अंतिम अध्याय** निष्कर्ष एवं सुझाव पर आधारित है। इसमें जो भी सूचनाएं लोगों से भरवाई गई प्रश्नावली से प्राप्त हुई है, जो कुछ जानकारियां अन्य स्त्रोतों यथा पुस्तकों, वेबसाइट, विभिन्न विशेषज्ञों से मिली साक्षात्कार आदि से प्राप्त हुई उसी के आधार निष्कर्ष एवं सुझाव लिखा गया है। निष्कर्ष एवं सुझाव को अंतिम रूप देने के दौरान स्व-अवलोकन और स्व-अनुभव से प्राप्त विचारों को भी शामिल किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा लोकसभा चैनल को शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है। लोकसभा चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को केंद्र में रखकर शोध तैयार किया गया है। इसमें एक दो कार्यक्रमों को नहीं बल्कि लोकसभा टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को शोध में शामिल किया गया। किसी समय विशेष में बंधकर कार्यक्रम को नहीं लिया गया बल्कि सम्पूर्ण अवलोकन करके शोध किया गया। शोध क्षेत्र के चयन के अंतर्गत वर्तमान समय में लोकसभा चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को अध्ययन क्षेत्र बनाया है। क्षेत्र चयन से सर्वप्रथम उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए वर्तमान में प्रसारित होनेवाले कार्यक्रम का चयन किया गया तत्पश्चात् संगणना प्रविधि का प्रयोग करते हुए वर्तमान समय के सभी कार्यक्रमों का चयन किया गया है।

अध्ययन की रूपरेखा

शोध में लोकसभा चैनल के कार्यक्रमों के प्रभाव जानने के लिए दूरदर्शन के कुछ चैनल को शामिल किया गया है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के भी कुछ चैनलों का चयन किया गया है। कार्यक्रमों को जानने के लिए द्वितीयक स्त्रोत का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आकड़ों के लिए प्रश्नावली के माध्श्म से संबंधित क्षेत्र से सूचनाएं और जानकारियां ली गयी हैं। शोध के निष्कर्ष को प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों माध्यम के आधार पर दिया गया है।

शोध की समस्या

1. लोकसभा चैनल पर शोध करने में सबसे बड़ी समस्या पूर्व प्रकाशित सामग्रियों की कमी या अनुपलब्धता रही।
2. शोध के लिए जिस प्रकार से टीवी का अवलोकन होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है।
3. साक्षात्कार एवं स्त्रोतों के लिए विशेषज्ञों की अनुपलब्धता भी रही।
4. शोध क्षेत्र में साक्षात्कार के समय ठंडक काफी रही, जिस कारण दो बार अध्ययन क्षेत्र में जाना जिससे समय की कमी रही।
5. किसी भी चैनल को इतने कम समय में जानना कठिन कार्य है।

शोध का उद्देश्य

1. सरकारी या संसदीय चैनल होने के कारण इसकी भूमिका को जानना।
2. क्या यह चैनल लोगों पर प्रभाव डाल पा रहा है।
3. अन्य सरकारी चैनलों के होने के बावजूद इसकी स्थिति को जानना।
4. अन्य निजी चैनलों के होने के बावजूद इसकी स्थिति को जानना।
5. इलेक्ट्रॉनिक चैनलों की प्रतिस्पर्द्धा में इसकी प्रासंगिकता को जानना।
6. इसपर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के प्रति लोगों की राय जानना।

उपकल्पना

1. लोकसभा चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की विषय-वस्तु अलग होती है।
2. इसपर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं।
3. इस चैनल की स्थापना मनोरंजन या सूचना प्रदान करने के लिया नहीं बल्कि विचार और समझ निर्माण के उद्देश्य से किया गया है।
4. दूरदर्शन एवं अन्य निजी चैनलों की तुलना में इसके दर्शक कम हैं।

5. इस चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम उदाहरणस्वरूप- वृत्तचित्र, टॉक शो आदि अन्य चैनलों से अलग होती है।

शोध का महत्व

चूंकि इस विषय पर अभी तक कोई शोधकार्य उपलब्ध नहीं है, अतः भविष्य में लोकसभा टीवी या सम्बद्ध विषय पर शोध हेतु प्रस्तावित शोध के निष्कर्षों को द्वितीयक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अतः इस विषय पर रिसर्च की मजबूत नींव रखने की कोशिश की गई है। मांग के अनुसार सुधार और लगातार सुधार किसी भी संगठन की सफलता का पर्याय होता है। लोकसभा टीवी इस शोध के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकेगी और जरुरी सुधार कर सकेगी। इसप्रकार यह शोध लोकसभा टीवी के कार्यक्रमों को और अधिक नये रूप में और मांग अनुरूप पेश करने का आधार दे सकती है।

शोध की प्रासंगिकता

यह शोध लोकसभा टीवी को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के 121 मिलियन आबादी की अधिकांश जनता तक अपनी पहुंच बनाने में आने वाली बाधक कारकों का अध्ययन करने का भी उद्देश्य रखता है। इन बाधक कारकों पर विशेष ध्यान देते हुए लोकसभा टीवी अपनी प्रसारण और विपणन नीति बना सकता है और भारत के दिलों यानि गांवों में रहने वाले लोगों के बीच भी अपनी पहुंच बना सकता है। भारत जैसे लोकतंत्र में विधि निर्माण और संसदीय गतिविधियों से सर्वशक्तिमान जनता को परिचित करने में आने वाली बाधाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार या सम्बद्ध विभाग भी लोकसभा जैसे संसदीय या सरकारी चैनलों को सुदृढ़ करने हेतु विशेष नीति या दिशानिर्देश जारी कर सकती है, खासकर दूरदर्शन आदि के मामले में। इस शोध के जरिए विश्व के विभिन्न देशों में संचालित होने वाले संसदीय चैनलों के अनुभव को भी रेखांकित करने की कोशिश की गई है। उन अनुभवों का लाभ लोकसभा टीवी जैसे संसदीय चैनलों को भी मिल सकता है। चूंकि इस शोध में लोकसभा टीवी की बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाया गया है जो किसी भी निजी चैनल के लिए नकारात्मक सन्देश देता है, अतः यह शोध न सिर्फ लोकसभा टीवी के लिए बल्कि निजी चैनलों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यह शोध यह भी दर्शाता है कि अब दर्शकों के रुझान का रुख गंभीर विषयों या उन मुद्दों की तरफ बढ़ा है जो किसी भी देश या समाज की प्रगति के लिए आवश्यक होता है। इसप्रकार यह शोध न्यूज़ चैनलों या अन्य चैनलों के लिया एक बहुमूल्य संदेश भी देता है।

साहित्य पुनरावलोकन

कोई भी शोध कार्य बिना साहित्य के पूरा नहीं होता है। लेकिन प्रस्तुत शोध विषय से संबंधित, विशेषकर भारतीय परिदृश्य एवं पुस्तकों में ज्यादा साहित्य उपलब्ध नहीं है। अत: शोध विषय पर एवं इस क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य की लगातार कमी बनी हुई है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पब्लिक ब्रॉडकास्ट एवं जनसंचार विषय से संबंधित कुछ पुस्तकों में संक्षिप्त रूप में या एक अध्याय के रूप में या एक पन्ने में ही इस विषय के बारे में जानकारी मिल पायी है।

उपर्युक्त शोध विषय के साहित्य संबंधी वैश्विक परिदृश्य पर गौर करे तो पाते है कि इस विषय के बारे में इंटरनेट, विश्व के कई भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों, ब्लॉग एवं लेखों में शोध विषय संबंधित जानकारियां की उपलब्धता है। मगर भारतीय परिदृश्य में इस विषय पर कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया है।

भारतीय संसद और मीडिया - देवेन्द्र उपाध्याय - प्रथम संस्करण, 2008. इस पुस्तक के माध्यम से संसद के कार्यों, नियमों एवं प्रक्रियाओं को जानने के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र में संसद और प्रेस की भूमिका के बारे में भी सामग्री उपलब्ध है। इससे मुझे मीडिया कर्मी किस प्रकार से संसद की कार्यवाहियों की रिपोटिंग कैसे करते हैं और उन्हें क्या- क्या दिक्कत आती है ये जानने का मौका मिला।

संसदीय लोकतंत्र और पत्रकारिता - अशोक चतुर्वेदी - प्रथम संस्करण, 2006. इसमें संसदीय लोकतंत्र विषय पर प्रचुर सामग्री मौजूद है। साथ ही दूरदर्शन पर संसद का प्रयोग कितना सफल हुआ है, क्या- क्या दिक्कत आयी है। ये सारी जानकारियां उपलब्ध है। मीडिया के भी कुछ नियम-कानून होते हैं, संसद की कार्यवाहियों को दिखाने में उसे क्या परेशानी होती है। इस पुस्तक के माध्यम से ये जानकारियां प्राप्त हुई।

प्रसार भारती और प्रसारण नीति - सुधीश पचौरी, प्रथम संस्करण 1999. इस पुस्तक के माध्यम से प्रसार भारती के प्रसारण नीति को जाना है क्योंकि मेरे द्वारा जो क्षेत्र लिया गया है उसमें पब्लिक ब्रॉडकास्ट में प्रसार भारती के क्या नियम है उसे जानना जरूरी था।

लोकसभा चैनल बुक लैट - लोकसभा सचिवालय, जून 2012. लोकसभा चैनल द्वारा उपलब्ध कराए गए इस बुक लैट के माध्यम से इसके कार्यक्रमों और अन्य विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

शोध चयन प्रक्रिया

शोध कार्य को पूरा करने के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली व अवलोकन विधि का प्रयोग करने के अलावा द्वितीयक स्त्रोत का प्रयोग किया गया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तावित शोध शीर्षक के अंर्तगत निम्न शोध प्रविधि पद्धतियां अपनाई गई -

1. अवलोकन प्रविधि - इसे निरीक्षण करना भी कहा जाता है। अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें शोधकर्त्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है एवं संबंधित सामग्री का सकंलन करता है। टीवी के माध्यम से लोकसभा चैनल के कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया है।
2. प्रश्नावली प्रविधि – प्रश्नावली शोध विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है और सूचनादाता इसे स्वंय भरकर पुन: लौटाता है। अत्यधिक विस्तृत शोध क्षेत्र के कारण काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं था, अतः सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग किया गया।
3. साक्षात्कार प्रविधि - शोधकर्त्ता द्वारा सूचनादाता के साथ परस्पर संबंध स्थापित कर अभीष्ट जानकारी लेना साक्षात्कार कहलाता है। लोकसभा चैनल के बारे में एवं उसके कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेने के लिए वहां के लोगों से साक्षात्कार लिया गया।

शोध की सीमाएं :-

लोकसभा चैनल अपने आप में एक बड़ा विषय है। इतने कम समय में इसके सभी पहलुओं की चर्चा कर पाना संभव नहीं था इसलिए इसके वर्तमान कार्यक्रमों को लेकर शोध कार्य किया गया है। साथ ही एक राष्ट्रीय चैनल होने के नाते ये किस प्रकार दूरदर्शन एवं निजी चैनलों से अलग है इनको जानने के लिए भी दूरदर्शन के तीन चैनलों और तीन निजी चैनलों को लिया गया है।